बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक – 12नि०/प०ग० (लोक सूचना) 95/2017 प०पा 1153 (नि०) दिनांक – 05/04/2018

प्रेषक,

डॉ०जागृति प्रसाद सिंह,
संयुक्त निदेशक, (पशु स्वा०),
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी–सह–
सचिव जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

विषयः– जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी द्वारा की गयी कार्रवाई संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–723 (नि०) दिनांक–12.03.2018, 956 (नि०) दिनांक–21.03.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसके अन्तर्गत आवेदक ने जनवरी, 2014 से पशु क्रूरता निवारण संबंधी निम्न सूचना की मांग की है:–

i) जिला SPCA द्वारा जाँच के दौरान कितने पशुओं एवं कितने वाहनों की जाँच हुई।
ii) जिला SPCA के कार्रवाई के दौरान कितने केस/मामले दर्ज हुए।
iii) जिला SPCA के कार्रवाई के दौरान दर्ज मामले/केस की तिथि, समय एवं स्थान।
iv) जाँच के दौरान पकड़े गये व्यक्तियों का नाम।
v) जाँच/जब्ती के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।
vi) जाँच/जब्ती के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र की प्रति।
vi) जाँच या पशु जब्त किये जाने की घटना के दौरान घायल या मारे गये व्यक्तियों की संख्या एवं नाम तथा SPCA के प्राधिकृत सदस्य का नाम जिनके समक्ष घटना हुई है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको आवेदिका अंजली भारद्वाज, B-76, S.F.S. फ्लैट (त्रिवेणी अपार्टमेन्ट), शेख सराय, फेज–1, नई दिल्ली–17 को उपलब्ध कराते हुए इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित किये जाने हेतु आपको निदेशित किया गया था, तथापि आपके स्तर से अनुपालन अद्यतन प्रतीक्षित है। अतः आपको स्मारित किया जाता है कि आवेदक को वांछित सूचना तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विदित हो इस कार्य हेतु आपके स्तर से की गई किसी भी लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। जिसके परिमाणतः आपके विरूद्ध नियमसंगत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

4.4.18
संयुक्त निदेशक, (पशु स्वा०),
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12नि०/प०ग० (लोक सूचना) 95/2017 प०पा 1153 (नि०) पटना–15, दिनांक–05/04/2018

प्रतिलिपि–अपर सचिव–सह–प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अंजली भारद्वाज, B-76, S.F.S. फ्लैट (त्रिवेणी अपार्टमेन्ट), शेख सराय, फेज–1, नई दिल्ली–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

4.4.18
संयुक्त निदेशक (पशु स्वा०)।